

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिह्नित अभियोग में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपहरण के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 05 वर्ष कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना पर दिनांक 23.01.2019 को समय 13.10 बजे थाना जगदीशपुर पर मु०अ०सं० 18/19 धारा 363, 366, 376, 342 भादवि व ¼ पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 27.01.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे-12/पाक्सो कोर्ट सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त के अन्तिम रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए परिवाद में परिवर्तित करते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ❑ अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास।
- ❑ अभियुक्त को 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह अतिरिक्त साधारण कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ मो० अंसार पुत्र मुख्तार अहमद नि० पूरे कल्ला बक्श थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।



एडीजीसी श्री
छोटेरालाल द्विवेदी



पैरोकार का० दिलीप
कुमार



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी